



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 31, 2017/ज्येष्ठ 10, 1939

No. 225]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 31, 2017/JYAIKTHA 10, 1939

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

अधिसूचना

लखनऊ, 8 मई, 2017

“भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (स्टाफ) [संशोधन] विनियमावली, 2017”

फा. सं. मासंब सं.ल00141487/स्टाफ सामान्य (2).—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39वां) की धारा 52 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का निदेशक-मंडल एतद्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (स्टाफ) विनियमावली, 2001 (मूल विनियमावली) में निम्नलिखित संशोधन करता हैः-

1. इस विनियमावली को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (स्टाफ) [संशोधन] विनियमावली, 2017 कहा जाए।
2. यह विनियमावली 01 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगी।
3. मूल विनियमावली के अध्याय VI के विनियम 80 में वर्तमान “(छ.)” के पश्चात् निम्नलिखित दो अवकाश (ज) एवं (झ) जोड़े जाएँगे:-
 (ज) शिशु दत्तक-ग्रहण अवकाश”
 “(झ) पितृत्व अवकाश”
4. मूल विनियमावली के अध्याय VI के विनियम 95 में विनियम की प्रथम पंक्ति और उप विनियम 2(ii) की अंतिम पंक्ति में प्रयुक्त “अध्यक्ष” शब्द प्रतिस्थापित होकर उसके स्थान पर “सक्षम प्राधिकारी” शब्द का प्रयोग होगा।
5. मूल विनियमावली के अध्याय VI की धारा 3 में वर्तमान विनियम 101 के पश्चात् दो नये विनियम “101ए” एवं “101बी” जोड़े जाएँगे जो निम्नवत हैं:

“विनियम 101ए (1) शिशु दत्तक-ग्रहण अवकाश ऐसी महिला कर्मचारी को स्वीकृत किया जाएगा, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों।

यह सबेतन अवकाश होगा और एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे के वैध दत्तक-ग्रहण पर, वैध दत्तक-ग्रहण की तारीख के तुरन्त बाद अधिकतम छह माह की अवधि के लिए स्वीकृत किया जाएगा। बच्चे का दत्तक-ग्रहण उचित वैध प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए, जिसके लिए कर्मचारी को बैंक में दत्तक-ग्रहण विलेख प्रस्तुत करना होगा।

(2) अवकाश स्वीकृत करने में सक्षम प्राधिकारी कर्मचारी को शिशु दत्तक-ग्रहण अवकाश के साथ अविराम रूप से अथवा उससे मिलाकर, आकस्मिक अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश तथा विशेष रूग्णता अवकाश को छोड़कर किसी भी प्रकार का अन्य अवकाश स्वीकृत कर सकता है।

“101बी” (1) पितृत्व अवकाश ऐसे पुरुष कर्मचारी (जैविक पिता) को स्वीकृत किया जाएगा, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों। यह सबेतन अवकाश होगा और कर्मचारी की पत्नी के जन्मावृत्ति में होने की अवधि में पन्द्रह दिन या शिशु के जन्म की तारीख से छह माह तक की अवधि में पन्द्रह दिन के लिए स्वीकृत किया जाएगा;

(2) पितृत्व अवकाश ऐसे पुरुष कर्मचारी (दत्तक-ग्रहणकर्ता पिता) को स्वीकृत किया जाएगा, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों। यह सबेतन अवकाश होगा और एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे के वैध दत्तक-ग्रहण पर, वैध दत्तक-ग्रहण की तारीख के पश्चात् पन्द्रह की अवधि के लिए स्वीकृत किया जाएगा। बच्चे का दत्तक-ग्रहण उचित वैध प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए, जिसके लिए कर्मचारी को बैंक में दत्तक-ग्रहण विलेख प्रस्तुत करना होगा।

(3) अवकाश स्वीकृत करने में सक्षम प्राधिकारी कर्मचारी को पितृत्व अवकाश के साथ अविराम रूप से अथवा उससे मिलाकर, आकस्मिक अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश तथा विशेष रूग्णता अवकाश को छोड़कर, किसी भी प्रकार का अन्य अवकाश स्वीकृत कर सकता है।

ए. के. कपूर, उप प्रबन्ध निदेशक

प्रमाणित किया जाता है कि लघु उद्योग बैंक के निदेशक मंडल ने 27 मार्च 2017 को मुम्बई में आयोजित अपनी बैठक में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (स्टाफ) [संशोधन] विनियमावली, 2017 को अनुमोदित एवं अंगीकार किया।

[विज्ञापन-III/4/असा./89/17]

डी. घोष, मुख्य महाप्रबन्धक

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Lucknow, the 8th May, 2017

“The Small Industries Development Bank of India (Staff) [Amendment] Regulations, 2017”

F. No. HRV No. L00141487 /Staff General (2).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989), the Board of Directors of the Small Industries Development Bank of India hereby makes the following amendments to the Small Industries Development Bank of India (Staff) Regulations, 2001 (the Original Regulations), namely:-

1. These Regulations may be called the Small Industries Development Bank of India (Staff) [Amendment] Regulations, 2017.
2. These Regulations shall come into force with effect from April 01, 2017.
3. In Regulation 80 of Chapter VI of the Original Regulations the following two new leave shall be inserted as (h) and (i) after the existing "(g)":-
 - “(h) Child Adoption Leave”
 - “(i) Paternity Leave”
4. In Regulation 95 of Chapter VI of the Original Regulations the words “the Chairman” appearing in the first line of the Regulation and the last line of sub-regulation 2(ii) shall stand substituted and replaced with the words “the Competent Authority”.
5. In Section 3 of Chapter VI of the Original Regulations, after the existing Regulations 101, two new Regulations “101A” and “101B” shall be inserted to the following effect:

“101A (1) *Child Adoption Leave, which shall be on leave pay, may be granted to a female employee with less than two surviving children, for a period not exceeding six months on valid adoption of a child below the age of one year, immediately after the date of valid adoption. The adoption of a child should be through proper legal process and the employee shall produce the adoption deed to the Bank.*

(2) *The authority empowered to grant leave may grant leave of any other kind admissible to the employee other than Casual Leave, Special Casual Leave and Special Sick Leave in combination with, or in continuation of Child Adoption Leave.”*

"101B" (1) Paternity Leave, which shall be on leave pay, may be granted to a male employee (natural father) with less than two surviving children, for a period of fifteen days during the confinement of his wife for child birth, i.e., up to fifteen days before or up to six months from the date of delivery of the child;

(2) Paternity Leave, which shall be on leave pay, may be granted to a male employee (adoptive father) with less than two surviving children, for a period of fifteen days on valid adoption of a child below the age of one year, within a period of six months from the date of valid adoption. The adoption of a child should be through proper legal process and the employee shall produce the adoption deed to the Bank.

(3) The authority empowered to grant leave may grant leave of any other kind admissible to the employee other than casual Leave, Special casual Leave and Special Sick Leave in Combination with, or in continuation of Paternity Leave."

A. K. KAPUR, Dy. Managing Director

Certified that the Board of Directors of Small Industries Bank in its meeting held on March 27, 2017 at Mumbai had approved and adopted the Small Industries Development Bank of India (Staff) [Amendment] Regulations, 2017.

D. GHOSH, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./89/17]